न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 32/2017/अपील

दानाराम पुत्र नोपाराम जाति जाट निवासी ग्राम टाटनवा तहसील धोद जिला सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धोद जिला सीकर (राज0)
2. तहसीलदार (भू—अभिलेख) धोद जिला सीकर (राज0)

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/3873 दिनांक 22.12.2016 द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) धोद जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री प्रभातीलाल

निर्णय **दिनांकः—28.02.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलान्ट ग्राम टाटनवां पटवार हल्का भूवाला भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 12 रकबा 1.56 हैक्टियर बारानी द्वितीय एवं खसरा संख्या 14 रकबा 2.32 हैक्टियर बारानी द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 3.88 हैक्टियर अविस्थित है। इस कृषि भूमि में से कभी भी कोई डोटेड लाईन का रास्ता अथवा कटाणी रास्ता नही रहा है। बल्कि उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के कब्जा काश्त खातेदारी की होकर राजस्व रिकार्ड में बारानी द्वितीय अंकित है। तहसीलदार धोद ने बिना किसी आधार के ही क्रमांक/भू.अ./2016/3873 दिनांकित 22.12.2016 आदेश पारित कर दिया, जिसमें हल्का पटवारी को निर्देश देते हुए अंकित किया कि "प्रस्ताव राजस्व ग्राम टाटनवां पटवार मण्डल भूवाला तहसील धोद जिला सीकर के खसरा संख्या 5, 13, 12, 14, 16, 15, 11 किता 7 में से प्रस्तावित रास्ते को डोटेड लाईन के रूप मे दर्ज किया जाने बाबत स्वीकृति दी जाती है। नियमानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।" तहसीलदार धोद द्वारा उक्त आदेश पारित किया, वह आदेश उपखण्ड अधिकारी धोद के नाम तहसीलदार धोद द्वारा तैयार किया गया आवेदन की पुस्त पर दिया गया एवं उक्त आवेदन भी बिना किसी आधार के ही तैयार किया गया है। जिसमें प्रचलित रास्तो के विवरण का अंकन किया गया है। जबकि इस प्रकार का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार ने बिना किसी सक्षम आदेश के चुनौतीग्रस्त आदेश पारित कर दिया, जबकि राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर के आदेश के बिना राजस्व नक्शा अथवा जमाबन्दी में परिवर्तन करने का तहसीलदार को कोई क्षैत्राधिकार प्राप्त नही था। चुनौतिग्रस्त आदेश पारति करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया, नाही अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किया। जबकि विधि एवं प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

...ा किस पक्षकार के आवेदन पर पारित किया जिसमें प्रस्ताव राजस्व ग्राम टाटनवां ...केत कर रखा है। जबकि ग्राम टाटनवां, ग्राम पंचायत भूवाला के अधिन आता है तथा ग्राम पंचायत भूवाला द्वारा खसरा संख्या 12 व 14 में से रास्ता का अंकन करने बाबत कोई प्रस्ताव नही लिया था। अपीलान्ट की कृषि भूमि में से कभी भी कोई स्थायी या प्रचलित अथवा कटाणी रास्ता नही रहा है। मनमर्जी से डोटेड लाईन अंकित करके रेवन्यू रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का लैण्ड रिकाई ऑफिसर का आदेश पारित होने से पूर्व ही अंकन कर दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोद द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/3873 दिनांक 22.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। अधिनस्थ न्यायालय से प्राप्त रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिग्रस्त आदेश दिनांक 22.12.2016 के द्वारा ग्राम टाटनंवा पटवार हल्का भूंवाला मे खसरा नम्बर 5, 13, 12, 14, 16, 15, 11 किता 7 में से प्रस्तावित रास्ते को डोटेड लाईन के रूप मे दर्ज किये जाने बाबत स्वीकृति हेतु आदेश पारित किया हुआ है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर को ही राजस्व नक्शा अथवा जमाबन्दी में परिवर्तन करने का अधिकार है। लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर के आदेश के बिना राजस्व नक्शा अथवा जमाबन्दी में परिवर्तन करने का तहसीलदार को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोद द्वारा पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2016/3873 दिनांक 22.12.2016 को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28/2/19
(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति0 जिला कलक्टर, सीकर